

## उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,  
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

वि० सं० ६११४/स्था०भ०तक०/2022-23

दिनांक: 16 /06/2022

उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में तकनीकी सलाहकार के 01 पद वेतनमान-37400-67000 ग्रेड पे-8700 को निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने हेतु पात्र अभ्यर्थी से दिनांक-20.06.2022 से दिनांक-20.07.2022 तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र उ०प्र० रेरा के वेबसाइट <https://www.up-rera.in> के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

विस्तृत विज्ञापन एवं पद की अर्हता, शर्तें सम्बन्धी विस्तृत विवरण उ०प्र० रेरा की वेब-साईट <https://www.up-rera.in> के **CAREER** लिंक पर जाकर दिनांक 20.06.2022 से देखा जा सकता है।

  
सचिव,

# उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,  
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

वि0 सं0-6998/स्था0भ0तक0/2022-23

दिनांक: 16 / 06 / 2022

1. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ0प्र0 रेरा) में तकनीकी सलाहकार के पद को निर्धारित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं:-

| क्र. सं. | पद का नाम      | पे-बैंड तथा ग्रेड-पे      | पद की संख्या | नियुक्ति का स्रोत                 | पद हेतु योग्यता/अर्हता  |
|----------|----------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 1        | तकनीकी सलाहकार | 37400-67000 ग्रेड-पे 8700 | 01           | संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से | उम्मीदवार भारत का नागरिक हो।<br>आयु:-62 वर्ष से अधिक न हो।<br>शैक्षिक योग्यता-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/प्रौद्योगिकी संस्थान से सिविल/स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग/आईटी अथवा नगर नियोजन में उपाधि।<br>अनुभव- किसी सरकारी संगठन में प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव।<br>अतिरिक्त कार्य अपेक्षाएं:- उम्मीदवार से उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता, कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का पर्याप्त ज्ञान आपेक्षित होगा।<br>वरीयता:-नगर विकास, आवास विकास, नगरी नियोजन एवं रियल स्टेट सेक्टर में प्रबन्धकीय तथा पर्यवेक्षणीय स्तर पर कार्य का अनुभव के लिये वरीयता दी जायेगी। |


2. चयनित अभ्यर्थी को उ0प्र0 में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।
3. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवेदन-पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा संविदा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में लागू होगी।
5. प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिक की सेवाएं हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित नियमावली तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों से विनियमित होंगी।
6. विज्ञापित पद पर सुयोग्य तथा अनुभवी अभ्यर्थियों की सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से यथासम्भव नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएंगी।
7. संविदा के आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष के लिये या 65 वर्ष आयु तक के लिये जो भी पहले हो, होगी।
8. कार्य उत्कृष्ट स्तर का होने पर प्राधिकरण द्वारा संविदा की अवधि बढ़ायी जा सकती है, परन्तु यह कि संविदा की अवधि एक बार में 01 वर्ष तथा कुल मिलाकर 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं बढ़ायी जायेगी।

9. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड पे का न्यूनतम तथा राज्य कर्मचारियों का समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए अनुमन्य करायी जाएगी।

*‘सेवानिवृत्त कर्मियों को देय वेतन का निर्धारण उ0प्र0 शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-302/दस-2013-308/97टी0सी0 दिनांक-22, अप्रैल 2013 निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।*

*केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, उपक्रमों स्वायत्तशासी संगठनों आदि में कार्यरत कर्मियों को प्राधिकरण में उनकी नियुक्ति की दशा में नियमानुसार वेतन संरक्षण अनुमन्य होगा।”*

10. संविदा पर नियुक्ति की दशा में अधिकारी को वर्ष में (जनवरी से दिसम्बर तक) 20 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमन्य है।
11. संविदा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में प्राधिकरण तथा सम्बन्धित अधिकारी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और ऐसी कर्मी या प्राधिकरण को 30 दिन की अग्रिम नोटिस देकर या ऐसी नोटिस के बदले 30 दिन के वेतन की धनराशि का भुगतान करके अनुबन्ध/संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा। उक्त संविदाकर्मी यदि अपनी सेवा से पृथक होना चाहता है तो एक माह के पूर्व नोटिस प्रथम पक्ष को देगा, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
12. संविदा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में पद पर योगदान के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा उ0प्र0 रेरा के वेबसाइट <https://www.up-rera.in> के **CAREER** लिंक पर जाकर दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 20.07.2022 तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप उक्त वेब-साईट पर उपलब्ध है।
14. उक्त पद के लिये जारी पूर्व विज्ञापन संख्या 9951 दिनांक 13.11.2021 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नवीनतम विज्ञापन में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा पूर्व में किया गया आवेदन नवीनतम विज्ञापन में प्राप्त होने वाले आवेदन में सम्मिलित कर लिया जायेगा।
15. अर्हता तथा अनुभव की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र संवीक्षा के दौरान सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा।



सचिव,